संख्या-389/2016/1134जेपीआर/22-3-16-200(2)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदियों-(1)सोमनाथ पुत्र श्री बटेश्वर लोध एवं (2) संतोष शुक्ला पुत्र श्री देवकृष्ण शुक्ला को गृह अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-325/2016/803जेपीआर/22-3-16-200(2)/ 2016, दिनांक 31-08-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध कतिपय 249 बंदियों को 83-83 की तीन टोलियों में गृह अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित द्वितीय टोली के क्रमांक-32 व 25 पर अंकित बंदियों-(1)सोमनाथ पुत्र श्री बटेश्वर लोध एवं (2) संतोष शुक्ला पुत्र श्री देवकृष्ण शुक्ला को स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में परिवर्तन करते हुए एतदद्वारा उन्हें क्रमश: दिनांक 10-11-2016 एवं दिनांक 15-11-2016 से 15 दिन का गृह अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31-08-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-389/2016/1134जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in